<u>स्व: घोषणा पत्र</u>

1. मैं, _____ सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी_____, उम्र ____वर्ष, निवासी _____, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि

2. मैं, _____ में _____ के पद पर कार्य करता/करती हूँ इस कार्य से मेरी मासिक आय _____ रुपये प्रतिमाह हैं ।

3. मै रूहेला-टाँक को-आपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. रजि. कार्यालय सी-4/205, ब्रजपुरी, दिल्ली-110094 का रेगुलर सदस्य हूँ मेरा खाता संख्या ..... है मैंने आज दिनांक ___/___/_____को _____**रुपये रेगुलर ऋण (रेगुलर Loan), 13.20%** वार्षिक ब्याज दर के आधार पर समिति से प्राप्त किया हैं जिसका पूर्ण भुगतान अधिकतम ___ **मासिक किस्तों** में प्रत्येक माह की **12 तारीख से पूर्व या 12 तारीख तक देय ब्याज सहित** जिसकी पहली किस्त ____ _____ _____ से आरम्भ होगी का पूर्ण भुगतान समय पर करने का मैं वचन देता हूँ यदि किसी कारणवश मैं किसी किस्त को देने में चूक करता हूँ तो बकाया किस्त पर **1 रुपया प्रतिदिन** के हिसाब से दण्ड ब्याज भी देने का वचन देता हूँ ।

4. मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं इस ऋण की सभी किस्त समय से अदा करूंगा तथा कभी भी डिफाल्टर नहीं होऊंगा यदि मैं इस ऋण में डिफाल्टर होता हूँ तो समिति के नियमानुसार कानूनी कार्यवाही के लिये स्वंय ज़िम्मेदार होऊंगा ।

5. मैं इस बात से सहमत हूँ की यदि मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना या साक्ष्य ग़लत पाये जाते हैं तो मैं भारतीय दण्ड सहिंता 1860 की धारा 177 व 191 जो क्रमशः निम्नलिखित वर्णित हैं के तहत दण्ड का उत्तरदायी होऊंगा :

<u>धारा 177 मिथ्या सूचना देना</u> :

जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर सूचना देने के लिए वैध रूप से आबध्द होते हुए उस विषय पर सच्ची सूचना के रूप में ऐसी सूचना देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता हैं या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास हैं, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हज़ार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से,

अथवा, यदि वह सूचना, जिसे देने के लिए वह वैध रूप से आबध्द हो, कोई अपराध किये जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किये जाने का निवारण करने के प्रयोजन से, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित हो, तो वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जायेगा ।

<u>धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना</u> : जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिये वैध रूप से आबध्द होते हुये, या किसी विषय पर घोषणा करने के लिये विधि द्वारा आबध्द होते हुए, ऐसा कोई कथन करेगा, जो मिथ्या हैं, और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास हैं, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वाश नहीं हैं, वह मिथ्या साक्ष्य देता हैं, यह कहा जाता हैं ।

6. भारतीय दण्ड संहिता 1860 में वर्णित धारा 193 के अनुसार जो कोई किसी मामले में मिथ्या साक्ष्य देगा या गड़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

घोषणाकर्ता

<u>सत्यापन :-</u>

सत्यापित किया जाता हैं की आज दिनांक ___/____/_____को यह स्व घोषणा पत्र लिखा गया तथा इस स्व घोषणा पत्र के उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी के हिसाब से सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया हैं ।

घोषणाकर्ता